

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 फरवरी 2020—फाल्गुन 3, शक 1941

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2020

अधि.क्र.-76-एफ-1-45-2019-अठारह-3.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14-क की उपधारा (2) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 32-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नगरपालिक निगम, नगरपालिकाओं तथा नगर परिषद् के पार्षद् के निर्वाचन के लिए व्यय की सीमा निम्नानुसार विहित करती हैं :-

सारणी

नगरीय निकाय का प्रकार	जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या	निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)
नगरपालिक निगम	(एक) 10 लाख से अधिक	(एक) रु. 8.75 लाख
	(दो) 10 लाख से कम	(दो) रु. 3.75 लाख
नगरपालिका	(एक) 1 लाख से अधिक	(एक) रु. 2.5 लाख
	(दो) 50 हजार से 1 लाख तक	(दो) रु. 1.5 लाख
	(तीन) 50 हजार से कम	(तीन) रु. 1 लाख
नगर परिषद्		रु. 75 हजार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार सिंह, उप सचिव.

Bhopal, the 22nd February, 2020

No. 76 F-1-45/2019/18-3.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14-A of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and sub-section (2) of section 32-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, prescribes the limit of expenditure for the election of Councillor of Municipal Corporation, Municipalities and Nagar Parishad as under :-

TABLE

Type of Urban Body	Population according to census 2011	Maximum limit of election expenditure
(1)	(2)	(3)
Municipal Corporation	(i) More than 10 lakh (ii) Less than 10 lakh	(i) Rs. 8.75 lakh (ii) Rs. 3.75 lakh
Municipality	(i) More than 1 lakh (ii) From 50 thousand to 1 lakh (iii) Less than 50 thousand	(i) Rs. 2.5 lakh (ii) Rs. 1.5 lakh (iii) Rs. 1 lakh
Municipal Council		Rs. 75 thousand

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

Umesh Kumar Singh, Dy. Secy.

अधि. क्र.-77-एफ- 1-15/2018/18-3.-

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (1956 का संख्यांक 23) की धारा 433 के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (2) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 37) की धारा 355 के साथ पठित धारा 32 की उप-धारा (2) की द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतत्द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्: -

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम 2 में,-

(1) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(घ) “निर्वाचन” से अभिप्रेत है किसी नगरपालिका में स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन और उसमें सम्मिलित है, यथास्थिति, किसी नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद के पार्षद के संबंध में निर्वाचन;”

(2) खण्ड (ज-1) विलोपित किया जाए।

(3) खण्ड (झ-1) विलोपित किया जाए।

2. नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“9. मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाना.— नियम 9—क के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम 6 के अधीन मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् उसकी किसी प्रविष्टि में कोई सुधार या किसी नाम का समावेश या अपवर्जन नहीं किया जाएगा:

परंतु किसी मतदाता से संबंधित अभिलेख पर दृश्यमान लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण संबंधी त्रुटि या चूक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम 21 के अधीन नामनिर्देशन के लिए नियत अंतिम तारीख और समय के पूर्व किसी भी समय ठीक की जा सकेगी। ;”

3. नियम 9—क में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(2) उपनियम (1) के अधीन किसी प्रविष्टि का विलोपन संबंधित नगर पालिका के किसी वार्ड से निर्वाचन के लिए नियम 21 के अधीन जारी सूचना में, नामनिर्देशन के लिए नियत अंतिम तारीख के बाद और निर्वाचन पूरा होने के पहले नहीं किया जाएगा।”

4. नियम 16 में, उपनियम (3) में, खण्ड (ब) में, शब्द “महापौर/अध्यक्ष” के स्थान पर, शब्द “अभ्यर्थी” स्थापित किया जाए।

5. नियम 21 में, खण्ड (क) में, शब्द “महापौर, अध्यक्ष या” विलोपित किए जाएं।

6. नियम 23 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“23. निर्वाचन पूरा किए जाने के लिए समय का बढ़ाया जाना.— निर्वाचन आयोग ऐसे कारणों से जिन्हें वह उचित समझे किसी निर्वाचन को पूरा कराने के लिए नियम 21 के अधीन उसके द्वारा विहित की गई समय अनुसूची में आवश्यक संशोधन करके समय बढ़ाने में सक्षम होगा।”।

7. नियम 25 में, शब्द “महापौर या अध्यक्ष के निर्वाचन के मामले में नगर पालिका के किसी वार्ड के मतदाता द्वारा और “विलोपित किए जाएं।

8. नियम 26 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(1) किसी भी अभ्यर्थी को पार्षद के स्थान के लिए निर्वाचन के लिए सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसने नियम 25 के अधीन नामनिर्देशन-पत्र परिदत्त करते समय या उसके पूर्व रिटर्निंग आफिसर के पास निम्नांकित राशि नगद रूप में जमा न कर दी हो या जमा न करवा दी हो, अर्थात्:-

(एक) नगरपालिका परिषद के मामले में राशि रुपये 1000/- ;

(दो) नगरपालिका के मामले में राशि 3000/- रुपये ;

(तीन) नगर निगम के मामले में राशि 5000/- रुपये:

परंतु जहां कोई अभ्यर्थी महिला हो या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो वहां, इस नियम के अधीन उसे उपरोक्त राशि का केवल आधा भाग निक्षेप के रूप में जमा करना होगा।”।

9. नियम 33 में,-

(1) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(1) यदि कोई अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करना चाहे तो ऐसी नियुक्त उपनियम (2) तथा (3) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, प्ररूप 11 में नियम 21 के अधीन सूचना जारी होने के पश्चात और निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय की जाएगी।”।

(2) उपनियम (2) में, शब्द "महापौर या अध्यक्ष" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।

10. नियम 34 में,—

(1) उपनियम (1) में, शब्द "महापौर या अध्यक्ष" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।

(2) उपनियम (1)(क) को विलोपित किया जाए।

(3) उपनियम (2) में, शब्द "महापौर या अध्यक्ष या उसका निर्वाचन अभिकर्ता/पार्षद" के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता" स्थापित किए जाएं।

11. नियम 35 में,—

(1) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(1) ऐसा अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, प्ररूप 13 में लिखित में दो प्रतियों में अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित पत्र द्वारा ऐसे अभ्यर्थी के गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा, उन वार्डों के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए गणना अभिकर्ता नियुक्त किए जा सकेंगे।”।

(2) उपनियम (2) में, शब्द "महापौर या अध्यक्ष या उसका निर्वाचन अभिकर्ता/ पार्षद" के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता" स्थापित किए जाएं।

12. नियम 36 में,—

(1) उपनियम (1) में, शब्द "महापौर या अध्यक्ष" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।

(2) उपनियम (3) के प्रथम पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(3) यदि संबंधित अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता की मृत्यु मतदान प्रारंभ होने के पूर्व हो जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी ऐसी मृत्यु के तथ्य की रिपोर्टरू:—”

(3) उपनियम (5) में, शब्द "महापौर / अध्यक्ष या उसका निर्वाचन अभिकर्ता / पार्षद" के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता" स्थापित किए जाएं।

13. नियम 37 में,—

(1) उपनियम (1) में, शब्द "महापौर / अध्यक्ष / पार्षद" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।

(2) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(2) यदि संबंधित अभ्यर्थी के गणन अभिकर्ता की मृत्यु गणना पूरी होने के पूर्व हो जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी ऐसी मृत्यु के तथ्य की रिपोर्ट लिखित में रिटर्निंग ऑफीसर को तत्काल करेगा।”।

(3) उपनियम (3) में, शब्द "महापौर / अध्यक्ष या उसका निर्वाचन अभिकर्ता / पार्षद" के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता" स्थापित किए जाएं।

14. नियम 43 में, उपनियम (2) में, शब्द "महापौर / अध्यक्ष", के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।
15. नियम 44 में, उपनियम (3) में, खण्ड (ख) में, शब्द "महापौर / अध्यक्ष", के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।
16. नियम 45 में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
 "(घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और इन नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता।"।
17. नियम 46 में, -
 (1) उपनियम (1) में, शब्द "महापौर / अध्यक्ष", के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।
 (2) उपनियम (2) में, शब्द "महापौर / अध्यक्ष", के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।
18. नियम 49 में, उपनियम (1) में, शब्द "महापौर / अध्यक्ष", के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।
19. नियम 51 में, उपनियम (1) में, शब्द "महापौर / अध्यक्ष", के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।
20. नियम 56 में, उपनियम (1) में, शब्द "महापौर या अध्यक्ष" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।

21. नियम 58 में, उपनियम (2) में, शब्द "महापौर या अध्यक्ष", के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।
22. नियम 61 में, उपनियम (3) में, शब्द "महापौर या अध्यक्ष", के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।
23. नियम 63 में, उपनियम (3) में, शब्द "महापौर / अध्यक्ष", के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।
24. नियम 64 में, शब्द "महापौर या अध्यक्ष", के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।
25. नियम 65 में,—
 - (1) उपनियम (1) में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और इन नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए अभ्यर्थी का एक गणन अभिकर्ता।”।
 - (2) उपनियम (2) में, शब्द "महापौर / अध्यक्ष /", विलोपित किए जाएं।
26. नियम 66 में, उपनियम (11) में, शब्द "महापौर या अध्यक्ष", के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।
27. नियम 67 में, उपनियम (2) में, शब्द "महापौर या अध्यक्ष", के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।
28. नियम 70 में, शब्द "महापौर या अध्यक्ष", के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।
29. नियम 71 में, उपनियम (1) में, शब्द "महापौर या अध्यक्ष", के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।

30. नियम 72 में, -

- (1) उपनियम (1) में, शब्द "महापौर / अध्यक्ष", के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।
- (2) उपनियम (5) में, शब्द "महापौर / अध्यक्ष", जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।
- (3) उपनियम (6) में, खण्ड (क) में, शब्द "महापौर / अध्यक्ष", के स्थान पर, शब्द "अभ्यर्थी" स्थापित किया जाए।

31. अध्याय 8-क विलोपित किया जाए।

32. नियम 79 क में, उपनियम (1) में, शब्द "महापौर, अध्यक्ष या", विलोपित किए जाएं।

33. इन नियमों से संलग्न प्ररूप 2, 2क, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17क 18, 18क, 19, 19क, 19ग, 19घ, 20, 21, 21क, 23, 24 के स्थानों पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

“प्ररूप-2

[नियम-21 देखिए]

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका).....

पार्षद के निर्वाचन की सूचना

क्रमांकमध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं.....जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)..... इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद के पार्षदों के निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा, निम्नलिखित सूचना देता हूँ कि :-

- (क) अनुसूची के कॉलम (2) में वह/वे स्थान विनिर्दिष्ट हैं जिसके/जिनके लिए निर्वाचन होना है;
- (ख) पार्षद/पार्षदों के निर्वाचन के मामले में, सम्बन्धित वार्ड/वार्डों के क्रमांक, अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट हैं;
- (ग) अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट अधिकारी, निर्वाचन का संचालन करने हेतु रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) होगा,
- (घ) अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय ही नामनिर्देशन करने का स्थान, अंतिम तारीख और समय होगा;
- (ङ) अनुसूची के कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय ही नामनिर्देशन की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय होगा;
- (च) अनुसूची के कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय ही अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, तारीख और समय होगा;
- (छ) अनुसूची के कॉलम (8) में विनिर्दिष्ट तारीख और समय ही जिसके दौरान मतदान होगा, मतदान की तारीख और समय होगा;
- (ज) अनुसूची के कॉलम (9) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, मतों की गणना करने का स्थान, तारीख और समय होगा;

स्थान.....

तारीख.....

.....

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

नाम.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

अनुसूची

नगरपालिका का नाम	पद/पदों का विवरण जिसके/जिनके लिए निर्वाचन होगा यथा पार्षद	वार्ड क्रमांक	रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) का नाम तथा पद	नामनिर्देशन करने का स्थान, अंतिम तारीख और समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

नामनिर्देशन की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय	अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, अंतिम तारीख और समय	वह तारीख तथा समय जिसके दौरान मतदान होगा	मतों की गणना करने का स्थान, तारीख और समय
(6)	(7)	(8)	(9)

स्थान.....

तारीख.....

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

नाम.....

सील.....

प्ररूप-2-क

[नियम-22-क देखिए]

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका).....

सूचना

विषय-स्थानों के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सूचना

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-22-क के अनुसरण में, एतद्वारा सामान्य जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद.....के पार्षद के जिस स्थान/जिन स्थानों के लिए निर्वाचन होना है, उसके/उनके आरक्षण की स्थिति निम्नांकित तालिका में दर्शाई गई है :-

तालिका

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (पार्षद)	वार्ड क्रमांक (पार्षद के निर्वाचन के लिए)	आरक्षण की स्थिति (यथा अनु. जाति/अनु.जाति-महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति-महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामन्य/सामन्य-महिला)
(1)	(2)	(3)

स्थान.....

तारीख.....



हस्ताक्षर.....

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

जिला.....

नाम.....



मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

नगरपालिका निर्वाचन

प्ररूप-3

(नियम-24(2) देखिये)

नामानिर्देशन पत्र

मैं प्रस्तावक, *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद निर्वाचन के लिए निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता/करती हूँ :-

निर्वाचन के पद का विवरण

जिला		अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया स्टाम्प आकार का फोटो (2 से मी. X 2.5 से. मी.), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए
* नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का नाम		
* पद का नाम, जिसके निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नाम निर्दिष्ट किया जा रहा है.	पार्षद	
पार्षद के लिए नामनिर्देशन की स्थिति में सम्बंधित वार्ड का क्रमांक		

अभ्यर्थी का विवरण

1.	अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)			
2.	* लिंग	पुरुष	महिला	अन्य
3.	अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम			
4.	अभ्यर्थी के डाक का पूरा पता			
5. अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण				
* नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का वार्ड क्रमांक	मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता क्रमांक		

प्रस्तावक का विवरण

6.	प्रस्तावक का पूरा नाम (हिन्दी में)			
7.	* लिंग	पुरुष	महिला	अन्य
8.	प्रस्तावक के पिता/पति का नाम			
9.	प्रस्तावक के डाक का पूरा पता			
10.	प्रस्तावक का मोबाईल नम्बर			
11. प्रस्तावक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण				
* नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का वार्ड क्रमांक	मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता क्रमांक		

*जो लागू न हो उसे काट दें.

दिनांक

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम

अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन की सम्मति

मैं ऊपर नामित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूँ और मेरे बारे में आवश्यक जानकारियाँ निम्नानुसार है :-

12.	जन्मतिथि								
13.	संवीक्षा तिथि को पूर्ण होने वाली आयु (वर्ष में)								
14.	जाति अथवा वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)								
15.	जाति का नाम आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में								
16.	जाति के लिए अधिसूचित जिले का नाम								
17.	**राजनैतिक दल का नाम, जिसके द्वारा निर्वाचन में खड़ा किया गया है								
18.	अधिमान क्रम में चुने गये प्रतीक चिन्ह	1.							
		2.							
		3.							
19.	मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाला नाम (हिन्दी में)								
20.	मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाले अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग								
21.	अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर								

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार ऊपरवर्णित जानकारी सत्य है तथा मैं उपर्युक्त *नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद/नगरपरिषद के पार्षद के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज

क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-24(क) के तहत आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.	
2.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-31(2) के तहत प्ररूप-8	
3.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-31(2) के तहत प्ररूप-9	
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति.	
5.	प्रतिमूर्ति राशि जमा किये जाने की रसीद.	
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा-17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-35 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.	
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा-17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-35 के अंतर्गत *नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद/नगरपरिषद का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.	
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ.	
9.	अन्य -	
10.	अन्य -	

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिये.

**राजनैतिक दल द्वारा खड़ा न किये जाने की स्थिति में सम्मुख कॉलम में 'निर्दलीय' अंकित कीजिए.

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाये)

1.	नामनिर्देशन का क्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने का समय		
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण, जिसके सम्बंध में अभ्यर्थी को पावती दी गई है.

(कॉलम क्रमांक-3 एवं 4 में वही जानकारी अंकित की जाये जो अभ्यर्थी की पावती में अंकित की गई है.)

क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)	यदि संलग्न नहीं है तो उक्त दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की समयसीमा	
			दिनांक एवं समय	अवसर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-24(क) के तहत आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.		शपथपत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
2.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-31(2) के तहत प्ररूप-8			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
3.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-31(2) के तहत प्ररूप-9			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
5.	प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद.		प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अंतर्गत *नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ.			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
9.	अन्य -			
10.	अन्य -			

*जो लागू न हो उसे काट दें.

दिनांक

रिटर्निंग ऑफिसर (नगर पालिका) के
हस्ताक्षर

नाम

५-

नामनिर्देशन पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित करने के सम्बंध में रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र का परीक्षण मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-28 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूँ :- (**)

दिनांक

रिटर्निंग ऑफिसर (नगर पालिका) के

हस्ताक्षर

नाम

सील

**यदि नामनिर्देशन पत्र प्रतिक्षेपित किया जाता है तो उसके कारण लिखे जायें.

* पार्षद के अभ्यर्थी को प्रदान करने के लिए नामनिर्देशन पत्र की पावती और संवीक्षा करने की सूचना.

1.	नामनिर्देशन का क्रमांक		
2.	रिटनिंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटनिंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने का समय		
4.	*रिटनिंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक
5.	अभ्यर्थी का नाम		
6.	*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का नाम		
7.	पद का नाम जिसके निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है. (पार्षद की स्थिति में वार्ड क्रमांक भी अंकित किया जाये)		
8.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा की तिथि		
9.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का समय		
10.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का स्थान		

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण

क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)	यदि संलग्न नहीं है तो उक्त दस्तावेज रिटनिंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की समयसीमा	
			दिनांक एवं समय	अवसर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन निगम, 1994 के नियम-24(क) के तहत आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.		शपथपत्र, रिटनिंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
2.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-31(2) के तहत प्ररूप-8			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
3.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-31(2) के तहत प्ररूप-9			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
5.	प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद.		प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद, रिटनिंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17/ मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17/ मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अंतर्गत *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ.			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
9.	अन्य -			
10.	अन्य -			

*जो लागू न हो उसे काट दें.

दिनांक

रिटनिंग ऑफिसर (नगर पालिका) के
हस्ताक्षर

नाम

सील

प्ररूप-4

[नियम-27 देखिए]

नामनिर्देशन की सूचना

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि ऊपर वर्णित निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित
नामनिर्देशन आज 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त हुए हैं :-

नामनिर्देशन-पत्र का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	*पिता/पति का नाम	अभ्यर्थी की आयु	पता	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये जातियों/जनजातियों या अन्य वर्गों की विशिष्टियां	मतदाता सूची में अभ्यर्थी का क्रमांक (भाग अनुक्रमांक..... क्रमांक.....)	प्रस्तावक का नाम	मतदाता सूची में प्रस्तावक का क्रमांक (भाग अनुक्रमांक..... क्रमांक.....)
(7)	(8)	(9)	(10)

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
के हस्ताक्षर

नाम.....

सील.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-5

[नियम-28(8) देखिए]

विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	*पिता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

स्थान.....

तारीख.....

समय.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
के हस्ताक्षर

नाम.....

सील.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-6

[नियम-29(1) देखिए]

अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए आवेदन

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

मैं, जो कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में विधिमान्यतः नाम
निर्दिष्ट अभ्यर्थी हूँ, एतद्वारा सूचना देता/देती हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता/लेती हूँ

02. तारीख को मेरी ओर से आपको प्रस्तुत *किया गया/किए गए
नामनिर्देशन *पत्र/पत्रों की प्राप्ति की अभिस्वीकृति में जो *रसीद/रसीदें दी गई थी वे इसके
साथ मूल रूप से संलग्न हैं.

स्थान.....

तारीख.....

.....
विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी
के हस्ताक्षर

यह सूचना.....(नाम) के द्वारा जो**.....है;
(तारीख)..... को(बजे) मुझे मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई थी.

तारीख.....

.....
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
के हस्ताक्षर

नाम.....

सील.....

**अभ्यर्थिता वापस लेने के आवेदन के लिए रसीद
(आवेदन परिदत्त करने वाले व्यक्ति को दी जाए)**

श्री.....द्वारा, जो कि *नगरपालिक निगम/नगरपालिका
परिषद्/नगर परिषद् के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद के निर्वाचन में विधिमान्यतः
नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी हूँ, अभ्यर्थिता वापस लेने का आवेदन.....(**) द्वारा
तारीख..... को(बजे) मुझे मुझे मेरे कार्यालय में परिदत्त किया गया

.....
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
के हस्ताक्षर

नाम.....

सील.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

**यहां नीचे लिखे विकल्पों में से एक समुचित विकल्प अंतःस्थापित करें (1) अभ्यर्थी, (2) अभ्यर्थी का प्रस्तावक, (3) अभ्यर्थी
का निर्वाचन अभिकर्ता.

प्ररूप-7

[नियम-29 (4) देखिए]

अभ्यर्थिता वापस लिए जाने की सूचना

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में निम्नलिखित विधिमान्यतः
नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने अपनी अभ्यर्थिता/अभ्यर्थिताएं आज वापस ले ली हैं :-

विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी का नाम (1)	विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी का पता (2)	टिप्पणियां (3)
1.		
2.		
3.		

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
के हस्ताक्षर

नाम.....

सील.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-8

[नियम-31 (2) देखिए]

राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के नामों के सम्बन्ध में सूचना

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....

जिला.....

विषय:-*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्..... जिला.....

के पार्षद का निर्वाचन, दल के अभ्यर्थियों के नाम.

महोदय,

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-31 के अनुसरण में, मैं एतद्वारा, सूचना देता हूँ कि ऊपर वर्णित आगामी नगरपालिका निर्वाचन/निर्वाचनों में.....(दल) द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति अपने अभ्यर्थी के रूप में खड़े किए गए हैं :-

पद का विवरण पार्षद	वार्ड का क्रमांक अंकों में	शब्दों में	अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुमोदित अभ्यर्थी का डाक का पता	प्रतिस्थानी अभ्यर्थी का नाम (जो अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम संवीक्षा में प्रतिक्षेपित होने पर या उसके लड़ने से हट जाने पर अभ्यर्थी के स्थान पर आएगा)	प्रतिस्थानी अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम	प्रतिस्थानी अभ्यर्थी का डाक का पता
(6)	(7)	(8)	(9)

भवदीय,

स्थान.....

तारीख.....

(दल की मोहर)

हस्ताक्षर

(दल की जिला इकाई के प्राधिकृत पदधारी का नाम और हस्ताक्षर)

नाम.....

प्रतिलिपि:-

कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)

जिला..... की ओर सूचनार्थ.

स्थान.....

तारीख.....

(दल की मोहर)

हस्ताक्षर

(दल की जिला इकाई के प्राधिकृत पदधारी का नाम और हस्ताक्षर)

नाम.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-9

[नियम-31 (2) (चार) देखिए]

राजनैतिक दल द्वारा पदधारी को प्राधिकृत किये जाने की सूचना
.....दल मध्यप्रदेश

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....

जिला.....

विषय:-*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....जिला.....
के पार्षद् का निर्वाचन, दल के अभ्यर्थियों के नामों की सूचना देने के लिए पदधारियों को प्राधिकृत
किया जाना.

महोदय,

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-31 के अनुसरण में, मैं एतद्वारा, यह
सूचित करता हूँ कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में इस दल द्वारा जो (मध्यप्रदेश राज्य में एक) राष्ट्रीय
दल/राज्य दल है, खड़े किए गए अभ्यर्थियों के नाम संसूचित करने के लिए इस दल द्वारा
निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है :-

प्राधिकृत कर्मचारिवृन्द के नाम की संसूचना भेजने के लिए प्राधिकृत पदधारी का नाम	दल की जिला इकाई में उसके द्वारा धारित पद का नाम	जिला/जिले जिसके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है
(1)	(2)	(3)

02. ऊपर उल्लिखित कर्मचारिवृन्द जो इस प्रकार प्राधिकृत किया गया/किये गये/है/हैं, के नमूना
हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं :-

नाम	नमूना हस्ताक्षर
1. श्री.....	1.
2. *श्री.....	2.
3. श्री.....	3.

स्थान.....

तारीख.....

(दल की मोहर)

भवदीय,

अध्यक्ष/सचिव

दल का नाम.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-10

[नियम-32 देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल से सम्बद्धता	आवंटित प्रतीक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

स्थान.....

तारीख.....

समय.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

नाम.....

सील.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-11

[नियम-33 (1) देखिए]

निर्वाचन अभिकर्ताओं की नियुक्ति

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

.....

मैं.....निवासी.....जो ऊपर वर्णित
निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, एतद्वारा श्री.....निवासी.....
को ऊपर वर्णित निर्वाचन में आज से अपना निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ.

स्थान.....

तारीख.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नाम.....)

मैं, ऊपर वर्णित नियुक्ति को स्वीकार करता हूँ.

स्थान.....

तारीख.....

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम.....)

अनुमोदित

स्थान.....

दिनांक.....

समय.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

के हस्ताक्षर

नाम.....

सील.....

प्ररूप-12

[नियम-34 (1) देखिए]

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

मैं..... जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, *ऊपर वर्णित
निर्वाचन में अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ, एतद्वारा श्री/श्रीमती.....
पता.....को मतदान केन्द्र क्रमांक.....*(मतदान के लिये नियत
स्थान).....में उपस्थित रहने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में
नियुक्त करता/करती हूँ.

स्थान.....

तारीख.....

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम.....)

मैं, ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूँ.

स्थान.....

तारीख.....

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम.....)

मतदान अभिकर्ता की घोषणा

(पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

मैं, एतद्वारा, यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में साधारणतः
निर्वाचन और विशिष्टतः मत दिये जाने की गोपनीयता से संबंधित विधि तथा नियमों द्वारा निषिद्ध
कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी।

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम.....)

मेरे समक्ष किए गए हस्ताक्षर

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी

(नाम.....)

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-13

[नियम-35 (1) देखिए]

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

मैं..... जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, निर्वाचन में
अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ, एतद्वारा (नाम).....पता.....
को (गणना के लिये नियत स्थान).....पर होने वाली मतों
की गणना में उपस्थित रहने हेतु अपने गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ,

स्थान.....

तारीख.....

.....
*अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम.....)

मैं, ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूँ,

स्थान.....

तारीख.....

.....
गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम.....)

गणन अभिकर्ता की घोषणा
(रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाए)

मैं, एतद्वारा, यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में साधारणतः
निर्वाचन और विशिष्टतः मत दिये जाने की गोपनीयता से संबंधित विधि तथा नियमों द्वारा निषिद्ध
कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी।

.....
गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम.....)

मेरे समक्ष किए गए हस्ताक्षर

.....
तारीख.....

.....
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर
नाम.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-14

[नियम-39 देखिए]

निर्विरोध निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 39 के उपनियम (1) के अनुसरण में,
मैं घोषित करता हूँ कि :-'

.....(नाम)

.....(पता)

**जो (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का नाम).....द्वारा खड़े किये
गए/खड़ी की गई, ऊपर वर्णित निर्वाचन में पार्षद के रूप में सम्यकरूप से निर्वाचित हुए हैं.

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
के हस्ताक्षर

(सील.....)

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

**यदि अनावश्यक हो तो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-15

[नियम-49 (2) (ग) देखिए]

अभ्याक्षेपित मतों की सूची

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

प्रविष्टि का अनुक्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियां		अभ्याक्षेपित व्यक्ति के अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर
		मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता का अनुक्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अभ्याक्षेपित व्यक्ति का पता	पहचानकर्ता, यदि कोई हो का नाम	अभ्याक्षेपकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	निक्षेप वापस प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

तारीख.....

.....
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम.....)

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-16

[नियम-52 (1) देखिए]

अंधे/शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा-पत्र

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

मैं.....पुत्र.....आयु.....
निवासी.....निवासी.....
.....

एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि -

- (क) मैंने आज तारीख.....को किसी मतदान केन्द्र पर अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है.
- (ख) मैं, नाम.....जो मतदाता सूची के भाग अनुक्रमांक.....के क्रमांक.....पर दर्ज है के निमित्त मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये मत को गुप्त रखूंगा/रखूंगी.

स्थान.....

तारीख.....

.....
(साथी के हस्ताक्षर)

(नाम.....)

प्रतिहस्ताक्षरित

पीठासीन अधिकारी

मतदान केन्द्र क्रमांक.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-17

[नियम-54 (2) देखिए]

निविदत्त मतों की सूची

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.
मतदान केन्द्र की संख्या

क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियां		मतदाता का पता	निविदत्त मतपत्र का क्रमांक
		मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता का अनुक्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

व्यक्ति को, जिसने मत डाल दिया,
जारी किए गए मतपत्र का क्रमांक
(7)

मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
या अंगूठे का निशान
(8)

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम.....)

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

प्ररूप-18

[नियम-57 देखिए]

मतपत्र लेखा

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

(मतदान केन्द्र का क्रमांक.....तथा नाम.....)

	अनुक्रमांक		कुल संख्या
	कहाँ से	कहाँ तक	
1. पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या			
2. उपयोग में न लाए गये मतपत्रों की संख्या			
3. मतदान केन्द्र (1-2 = 3) पर उपयोग में लाए गए मतपत्र			
4. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र :-			
(क) मुद्रण की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्र			
(ख) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्र			
(ग) रद्द किये गये मतपत्र			
योग (क+ख+ग)			
5. मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र			
** $(3-4=5)$			
(**अनुक्रमांक देने की आवश्यकता नहीं है)			

स्थान.....

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग-2 - प्रारम्भिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाये गये मतपत्रों की कुल संख्या.....
2. इस भाग में मद 1 में दर्शाई गई कुल संख्या और भाग-1 की मद 5 में दर्शायी गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या में कोई अन्तर, यदि कोई हो.....

तारीख.....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

(नाम.....)

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

(नाम.....)

प्ररूप-18 क

[नियम-63 थ देखिए]

भाग-1-अभिलिखित मतों का लेखा

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

मतदान केन्द्र का क्रमांक और नाम.....नियंत्रण यूनिट क्र.....

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन का पहचान संख्यांक मतदान यूनिट क्र. 1.....

2.....

प्रिन्टर क्र. (यदि प्रयुक्त हुआ है).....

डी.एम.एम का संख्यांक.....

1. मतदान केन्द्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या
2. मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या
3. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित वोटर्स की संख्या
4. नियम 63ठ के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या
5. मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या (2-3-4=5)
6. निविदत्त मतपत्रों की संख्या

अनुक्रमांक

से.....तक.....

(क) प्रयोग के लिए प्राप्त.....

(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए.....

(ग) प्रयुक्त न किए गए और वापिस लिए गए.....

7. कागज की सीलों का लेखा

- | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| 1. उपयोग के लिए प्रदाय की गई कागज की सीलें. | कुल सं 26 या..... | मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर |
| | क्र.सं.....से.....तक | 1..... |
| 2. प्रयुक्त हुई कागज की सीलें | कुल सं..... | 2..... |
| | क्र.सं.....से.....तक | 3..... |
| 3. रिटर्निंग आफिसर को वापस की गई प्रयुक्त कागज की सीलें. | कुल सं..... | 4..... |
| | क्र.सं.....से.....तक | 5..... |
| 4. नष्ट हुई कागज की सीलें यदि कोई हों : | कुल सं..... | 6..... |
| | क्र.सं.....से.....तक | |

तारीख.....

स्थान.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र क्रमांक.....

भाग-2
प्रारम्भिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई ई.व्ही.एम. में पाये गये मतों की कुल संख्या.....
2. इस भाग में मद 1 में दर्शाई गई कुल संख्या और भाग-1 की मद 3 में दर्शायी गई ई.व्ही.एम. में पाए गए मतों की कुल संख्या में कोई अन्तर, यदि कोई हो.....

स्थान.....

तारीख.....

.....
गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम.....

.....
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम.....

प्ररूप-19

[नियम-63 (2) देखिए]

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के लिये आवेदन

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्श्व का निर्वाचन.

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

जिला.....

महोदय,

मैं, ऊपर वर्णित निर्वाचन में अपना मत देना चाहता/चाहती हूँ मुझे *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक.....के मतदान केन्द्र क्रमांक.....पर निर्वाचन कर्तव्य पर नियुक्त किया गया है.

2. मेरा नाम ऊपर वर्णित *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के वार्ड क्रमांक..... की मतदाता सूची के भाग अनुक्रमांक.....के क्रमांक.....पर प्रविष्टि है.

3. निवेदन है कि मुझे एक निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजें, ताकि मैं अपना मत दे सकूँ.

पता :

.....
.....
.....

भवदीय,

.....
नाम.....

स्थान.....

तारीख.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.



प्ररूप-19-क
[नियम-63 (4)(क) देखिए]

लिफाफा-क

(क)

गणना के पूर्व न खोला जाए

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र

मतपत्र का अनुक्रमांक.....

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-19-ख
[नियम-63 (4)(ख) देखिए]

लिफाफा-ख

(ख)

गणना के पूर्व न खोला जाए

निर्वाचन तत्काल

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

जिला.....

भेजने वाले के हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-19-ग

[नियम-63 (4)(ग) देखिए]

निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता द्वारा घोषणा

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

मैं, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में वह मतदाता हूँ जिसे
क्रमांक..... वाला निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी किया गया है.

तारीख.....

.....

मतदाता के हस्ताक्षर

(नाम.....)

पता.....

.....

.....

हस्ताक्षर का अभिप्रमाणन

ऊपर वर्णित.....(मतदाता) ने, जिसे मैं, स्वयं, जानता/जानती
हूँ/जिसे (पहचानने वाले).....ने, जिसे मैं, स्वयं जानता/जानती हूँ मेरे
समाधानप्रद रूप में पहचाना है, मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं.

यदि कोई पहचानने वाला है तो हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....

.....

अभिप्रमाणनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम.....)

पदनाम.....

पता.....

.....

तारीख.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-19-घ

[नियम-63 (4)(घ) देखिए]

निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

1. इसके साथ भेजे गए मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम मुद्रित हैं वे उक्त वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं। आप जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने इस प्रयोजन से रखे गए स्थान पर स्पष्ट रूप से ✓ या X या अन्य रीति से चिन्ह लगाकर अपना मत अभिलिखित करें, जिससे स्पष्ट और बिना किसी संदेह के परे यह उपदर्शित हो जाए कि आप किसी अभ्यर्थी को अपना मत दे रहे हैं। यदि चिन्ह इस प्रकार लगाया गया है जिससे यह संदेह हो कि आपने मत किस अभ्यर्थी को दिया है तो आपका मत अविधिमान्य हो जाएगा।
2. मतपत्र पर आपसे अपना मत अभिलिखित करने के अपेक्षित चिन्ह से भिन्न किसी भी प्रकार के न तो हस्ताक्षर करें न कोई शब्द लिखें, न कोई चिन्ह या संकेत लगाए और न कोई बात लिखें।
3. मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् मतपत्र को आप इसके साथ भेजे गए "क" चिन्हित (प्ररूप-19-क में) छोटे लिफाफे में रखें। लिफाफे को बंद कर दें और उसे सील लगाकर या अन्यथा सुरक्षित रूप से बंद कर दें।
4. फिर आप प्ररूप-19-ग में इसके साथ भेजी गई घोषणा पर नीचे विनिर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके अपने हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करा लें-
 - क. यदि आप शासकीय सेवक हैं या किसी नगरपालिका अथवा सरकारी उपक्रम के कर्मचारी हैं तो जहां आप कार्यरत हैं उस कार्यालय का कार्यालय प्रमुख.
 - ख. कोई राजपत्रित अधिकारी, जो आपको जानता है या उस मतदान केन्द्र का जिस पर आप निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ हैं पीठासीन अधिकारी.
 - ग. नायब तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का कोई राजस्व अधिकारी.

आप यह घोषणा ऊपर वर्णित विनिर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी के पास ले जाएं और आपकी पहचान के बारे में उसका समाधान हो जाने के पश्चात् उसकी उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर करें। यह अधिकारी आपके हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करके घोषणा आपको लौटा देगा, आप अपना मतपत्र अभिप्रमाणन अधिकारी को नहीं दिखाएं और न ही उसे बताएं कि आपने किस को मत दिया है।

5. आपकी घोषणा हस्ताक्षरित हो जाने और आपके हस्ताक्षर अभिप्रमाणित किए जाने के पश्चात् आप प्ररूप-19-ग में घोषणा और साथ ही "क" चिन्हित (प्ररूप-19-क) में छोटा लिफाफा (जिसमें मतपत्र रखा गया है) को "ख" चिन्हित (प्ररूप-19-ख में) बड़े लिफाफे में रखें. बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात् इसे रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) को डाक से या संदेश वाहक के मार्फत भेजें अथवा उसे व्यक्तिशः परिदत्त करें. कृपया "ख" चिन्हित (प्ररूप-19-ख में) बड़े लिफाफे को रिटर्निंग आफिसर को भेजने या सौंपने के पूर्व उस पर अंकित प्रविष्टियों की पूर्ति कर लें.
6. आप यह सुनिश्चित कर लें कि मतगणना हेतु नियत तारीख और समय *पर अर्थात् तारीख..... को पूर्वाह्न/अपराह्न.....बजे पूर्व उक्त लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास पहुंच जाए.
7. कृपया यह भी ध्यान रखें कि :-
 1. यदि आप अपनी घोषणा ऊपर उपदर्शित रीति में अभिप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा.
 2. यदि लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास नियत तारीख और समय के पश्चात् पहुंचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी.

प्ररूप-20

[नियम-66 (10) देखिए]

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना का परिणाम

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

2. (क) विधिमान्य किये गए निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या.....
(ख) अविधिमान्य किये गए निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या.....
(ग) प्राप्त हुए कुल निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की संख्या.....

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

(नाम.....)

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-21

[नियम-69 (2) देखिए]

गणना का परिणाम

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

मतदान केन्द्र क्रमांक.....

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

2. (क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....
(ख) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या.....
(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या.....

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

(नाम.....)

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

(नाम.....)

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-21 क
[नियम-69 (ख) देखिए]

गणना का परिणाम

(जहां ई.व्ही.एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

(पार्षद के लिये पृथक-पृथक भरना है.)

मतदान केन्द्र क्रमांक.....

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन नियंत्रण यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. (क) अन्डर/नो वोटों की संख्या.....
(ख) अनफिनिस्ड मतों की संख्या.....
(ग) इनमें से कोई नहीं (नोटा).....

.....
गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन
अभिकर्ता का नाम
पूरे हस्ताक्षर

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

(नाम.....)

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-22

[नियम-69 (3) देखिए]

अन्तिम परिणाम पत्र

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

अन्तिम परिणाम पत्र

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य निर्वाचन कर्तव्य मतों की संख्या	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों की मतदान केन्द्रवार संख्या						महायोग
			(1)	(2)	(3)	(4)			
			मतदान केन्द्र क्रमांक ()	मतदान केन्द्र क्रमांक ()	मतदान केन्द्र क्रमांक ()	मतदान केन्द्र क्रमांक ()	मतदान केन्द्र क्रमांक ()	मतदान केन्द्र क्रमांक ()	

2. (एक) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....
 (दो) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या.....
 (तीन) डाले गये मतों की कुल संख्या.....
 (चार) विधिमान्य निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या.....
 (पांच) अविधिमान्य निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या.....
 (छः) डाले गए निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या.....
 (सात) इनमें से कोई नहीं (नोटा).....

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
नाम.....

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-23

[नियम-74 देखिए]

निर्वाचन की घोषणा सह-विवरणी

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के
वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन.

(1) निर्वाचन की विवरणी

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	दल से सम्बद्धता	प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)

मतदाताओं की कुल संख्या.....

डाले गए विधेमान्य मतों की कुल संख्या.....

इनमें से कोई नहीं (नोटा) को प्राप्त मतों की संख्या.....

प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या.....

निविदत्त मतों की कुल संख्या.....

(2) विवरणी के आधार पर निर्वाचन की घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि :-

.....(नाम)

.....(पता)

.....

सम्यकरूप से निर्वाचित हुए हैं/हुई हैं।

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

(नाम.....)

मुद्रा.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

टिप्पणी-किन्ही अभ्यर्थियों के बीच मतों की साम्यता पाई जाने के मामले में नियम-73 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

प्ररूप-24

[नियम-75 देखिए]

निर्वाचन का प्रमाण-पत्र

मैं, 'नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद् /नगर परिषद्
 जिला.....के रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) एतद्वारा, प्रमाणित
 करता हूँ कि मैंने.....के(माह) की तारीख.....
 को यह घोषित कर दिया है कि श्री/श्रीमती/कु.....
 निवासी.....
 जो (मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का नाम).....
 द्वारा खड़े किए गए/की गई है, *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्
 के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद के रूप में सम्यक् रूप से
 निर्वाचित हो गए/गई हैं और इनके साक्ष्य स्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन का प्रमाण-पत्र
 प्रदान किया है।

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

नाम.....

सील.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
 तथा आदेशानुसार


 (उमेश कुमार सिंह)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Government of Madhya Pradesh
Urban Development and Housing Department

No.77F 1-15/2018/18-3

Dated 22/02/2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 read with Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), and sub-section (2) of Section 32 read with Section 355 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, in consultation with the State Election Commission, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Municipalities Election Rules, 1994, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. in rule 2,-

(1) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

“(d)“Election” means an election to fill a seat or seats in a Municipality and includes the election in relation to the Councilor of a Municipal Corporation or a Municipality or Nagar Parishad as the case may be;”

(2) clause (f-1) shall be omitted.

(3) clause (l-1), shall be omitted.

2. for rule 9, the following rule shall be substituted, namely:-

“9. **Finalisation of Voters' List.** - Subject to the provision of rule 9-A, no correction in any entry or inclusion or deletion of any name shall be made in the voter's list after its finalisation under rule 6 :

Provided that clerical, technical or printing error or omission, apparent on the face of the record, regarding any voter may be corrected by the Registration Officer at any time before the last date and time fixed for making nomination under rule 21.”

3. in rule 9-A, for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) No deletion of any entry shall be made under sub-rule (1) after the last date fixed for making nomination in the notice issued under rule 21 for an election in any ward of the Municipality concerned and before the completion of that election.”

4. in rule 16, in sub-rule (3), in clause (b), for the words “Mayor/President” the word, “Candidate”, shall be substituted.

5. in rule 21, in clause (a), the words “Mayor, President or” shall be omitted.

6. for rule 23, the following rule shall be substituted, namely:-

“**23. Extension of time for completion of election.**- It shall be competent for the Election Commission for reasons which it considers sufficient to extend the time for completion of any election by making necessary amendments in the time schedule prescribed by it under rule 21.”

7. in rule 25, the words “and in the case of election of Mayor or President, by a voter of any ward of the Municipality” shall be omitted.

8. in rule 26, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) A candidate shall not be deemed to be duly nominated for election unless he has deposited or caused to be deposited in cash, either before or at the time of presentation of nomination paper under rule 25, with the Returning Officer, the following amount, namely :-

(i) In case of Municipal Council, an amount of Rs.1000/-;

(ii) In case of Municipality, an amount of Rs. 3000/-;

(iii) In case of Municipal Corporation, an amount of Rs. 5000/-;

Provided that where a candidate is a woman or a member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes he shall be required to deposit only half of the above amount as deposit under this rule.”.

9. in rule 33,-

(1) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) If a candidate desires to appoint an election agent, such appointment shall subject to the provisions of sub-rule (2) and (3), be made in Form 11 after issuance of Notice under rule 21 and any time before election.”.

(2) in sub-rule (2), for the words, “*Mayor/ President*” wherever they occur, the word, “*Candidate*” shall be substituted.

10. in rule 34-

(1) in sub-rule (1), for the words, “*Mayor/ President/ Councillor*” wherever they occur, the word, “*Candidate*” shall be substituted.

(2) sub-rule (1)(a) shall be deleted.

(3) in sub-rule (2), for the words, “*Mayor/President*”, or his election agent/ councillor the word, “*Candidate or his election agent*” shall be substituted.

11. in rule 35-

(1) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

(1) such candidate or his election agent, may appoint agent to act as counting agents of such candidate by letter in writing in duplicate in Form 13 signed by the candidate or his election agent, for those wards counting agents may be appointed for every polling station.

(2) in sub-rule (2), for the words, “*Mayor/ President or his election agent / Councillor*”, the words, “*Candidate or his election agent*” shall be substituted.

12. in rule 36-

(1) in sub-rule (1), for the words, “*Mayor/ President*” wherever they occur, the word, “*Candidate*” shall be substituted.

(2) in sub-rule (3), for the first para, the following para shall be substituted, namely:-

“(3) If the polling agent of the concerning candidate dies before the commencement of the poll, the concerning candidate or his election agent shall forthwith report in writing the fact of such death :-”

(3) in sub-rule (5), for the words, “*Mayor/ President or his election agent / Councillor*”, the words, “*Candidate or his election agent*” shall be substituted.

13. in rule 37-

(1) in sub-rule (1), for the words, “*Mayor/ President/ Councillor*” wherever they occur, the word, “*Candidate*” shall be substituted.

(2) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) If the counting agent of concerning candidate dies before the completion of the counting of votes, the concerning candidate or his election agent shall forthwith report the death in writing to the Returning Officer.”

(3) in sub-rule (3), for the words, “*Mayor/ President or his election agent / Councillor*”, the words, “*Candidate or his election agent*” shall be substituted.

14. In rule 43, in sub-rule (2), for the words, “*Mayor/ President*”, the word, “*Candidate*” shall be substituted.

15. In rule 44, in sub-rule (3), in clause (b), for the words, “*Mayor/ President*”, the word, “*Candidate*” shall be substituted.

16. In rule 45, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

“(d) candidates, their election agents and subject to the provisions of these rules one polling agent of candidate;”.

17. in rule 46-

(1) in sub-rule (1), for the words, “*Mayor/President*”, the word, “*Candidate*” shall be substituted.

(2) in sub-rule (2), for the words, “*Mayor/President*”, the word, “*Candidate*” shall be substituted.

18. in rule 49, in sub-rule (1), for the words, "*Mayor/ President*", the word, "*Candidate*" shall be substituted.
19. in rule 51, for the words, "on symbol of favour or opposite of recall *Mayor/ President*", the word, "*Candidate*" shall be substituted.
20. in rule 56, in sub-rule (1), for the words, "*Mayor/ President*" wherever they occur, the word, "*Candidate*" shall be substituted.
21. in rule 58, in sub-rule (2), for the words, "*Mayor/ President*", the word "*Candidate*" shall be substituted.
22. in rule 61, in sub-rule (3), for the words, "*Mayor/ President*", the word "*Candidate*" shall be substituted.
23. in rule 63, in sub-rule (3), for the words, where as occurred "*Mayor/ President*", the word "*Candidate*" shall be substituted.
24. in rule 64, for the words, "*Mayor/ President*", the word, "*Candidate*" shall be substituted.
25. In rule 65,-
 - (1) in sub-rule (1). for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

“(d) candidates, their election agents and subject to the provisions of these rules one counting agent of candidate;”.
 - (2) in sub-rule (2), the words, "*Mayor/ President*”, shall be omitted.
26. in rule 66, in sub-rule (11), for the words, "*Mayor/ President*", the word, "*Candidate*" shall be substituted.
27. in rule 67, in sub-rule (2), for the words, "*Mayor/ President*", the word, "*Candidate*" shall be substituted.
28. in rule 70, for the words, "*Mayor/President*", the word, "*Candidate*" shall be substituted.
29. in rule 71, in sub-rule (1), for the words, "*Mayor/ President*", the word, "*Candidate*" shall be substituted.

30. in rule 72,-

- (1) in sub-rule (1), for the words, "Mayor/ President", the word "Candidate" shall be substituted.
- (2) in sub-rule (5), for the words, "Mayor/ President", where they occurred, the word "Candidate" shall be substituted.
- (3) in sub-rule (6), in clause (a), for the words, "Mayor/ President", the word "Candidate" shall be substituted.

31. the chapter VIII-A shall be omitted.

32. in rule 79-A, in sub-rule (1), the words, "*Mayor, President or* ", shall be omitted.

33. For the Forms 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 17A,18, 18A, 19, 19A, 19C, 19D, 20, 21, 21A,23, 24 appended to these rules, the following Forms shall be substituted, namely:-

“FORM – 2

(See rule 21)

OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER (MUNICIPALITY).....

NOTICE OF ELECTION OF COUNCILLOR

No.....In exercise of the powers conferred by rule 21 of the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, I..... District Election Officer (Municipality).....do hereby give following notice in relation to the Election of ****Councillors** of the Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Council, specified in column (1) of the Schedule hereto:-

- (a) The seat/seats for which election is to be held is/are specified in column (2) of the schedule;
- (b) In the case of election of the Councillor/s the number/s of the concerned wards/s is/are specified in column (3) of the schedule;
- (c) The officer specified in column (4) of the Schedule will be the Returning Officer for conducting the election;
- (d) The place, date and time specified in column (5) of the schedule will be the place, last date and time for making nominations;
- (e) The place, date and time specified in column (6) of the schedule will be the place, last date and time for the scrutiny of nominations;
- (f) The place, date and time specified in column (7) of the schedule will be the place, last date and time for withdrawal of candidature;
- (g) The place, date and time specified in column (8) of the schedule will be the place, last date and time during which the poll shall be taken;
- (h) The place, date and time specified in column (9) of the schedule will be the place, last date and time for the counting of votes;

Place.....

District Election Officer (Municipality)

Date.....

District.....

**Strike out the inappropriate alternative.

SCHEDULE

Name of Municipality	Particulars of the seat/seats for which election will be held eg. Councillor	The number of ward	Name and designation of the Returning officer (Municipality)	Place, last date and time for making nominations
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Place, date and time for scrutiny of nominations	Place, last date and time for withdrawal of candidature	Date and time during which poll shall be taken	Place, date and time for counting of votes
(6)	(7)	(8)	(9)

Place.....

Date.....

.....
District Election Officer (Municipality)

Name

Seal.....

FORM - 2-A

(See rule 22-A)

OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER (MUNICIPALITY).....

NOTICE**Subject** – Notice regarding Status of Reservation of seats

In pursuance of Rule 22-A of the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, it is hereby notified for general information that the status of reservation of the seat/seats of Councillor of the **Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....for which election is to be held, is as shown in the following table :-

TABLE

Particulars of the seat for which election is to be held (Councillor)	The number of wards for election of Councillor only	Status of reservation (e.g. SC/SC-Woman/ST/ST-Woman/OBC/OBC-Woman/Gen./Gen-Woman)
(1)	(2)	(3)

Sign.....


Place.....

District Election Officer (Municipality)

Date.....

District.....

Name.....





M.P. State Election Commission

MUNICIPAL ELECTION

FORM - 3

[See Rule - 24(2)]

Nomination Paper

I, Proposer, Nominate the following as candidate for the election of *Municipal Corporation/ Municipality/Municipal Council :-

Details of the Post of Election

District		Place to affix a recent Stamp size (2cm X 2.5cm) photograph with clear frontal face image.
*Name of the Municipal Corporation/ Municipality/Municipal Council		
*Name of Post, for which candidate is Nominated for election	Councillor	
Ward No. in case of Nomination for the post of councillor		

Details of the Candidate

1.	Candidate's full Name (In Hindi)			
2.	*Sex	Male	Female	Other
3.	Father's/Husband's name of candidate			
4.	Full postal address of candidate			
5. Details of Candidate's name entered in voter list				
	*Ward No. of Municipa. Corporation/ Municipality/Municipal Council	Part No. of the voter list	Voter No.	

Details of the Proposer

6.	Full Name of Proposer			
7.	*Sex	Male	Female	Other
8.	Father/Husband's name of Proposer			
9.	Full postal address of Proposer			

10.	Mobile No. of the Proposer																		
11. Details of Proposer's name entered in voter list																			
	*Ward No. of Municipal Corporation/ Municipality/Municipal Council	Part No. of the voter list	Voter No.																

*Strike out the word not applicable.

Date

Signature/Thumb impression of Proposer

Name

Consent by the Candidate for Nomination

I, the above mentioned candidate, assent to this nomination and my details are ...

12.	Date of Birth									
13.	Age, as on date of scrutiny (in Years)									
14.	Caste/Category (Unreserved/SC/ST/OBC)									
15.	Caste Name (In case a member of reserved category)									
16.	Name of notified district for caste									
17.	**Name of political party by which the Candidate is set up									
18.	Choice of symbols in preference order	1.								
		2.								
		3.								
19.	Name to be printed on Ballot Paper (in Hindi)									
20.	English spelling of Candidate's name to be printed on Ballot Paper									
21.	Mobile No. of Candidate									

The above said information is true to the best of my knowledge and belief and I am qualified and not disqualified for being chosen to the seat of Councilor in the above mentioned Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council.

Date

Signature/Thumb impression of Candidate

Name

Enclosed documents with nomination paper

S.No.	Details of Documents	Enclosed (Yes/No)
1.	Affidavit with two extra signed copies regarding declaration of information relating to Criminal antecedent, assets, liabilities and educational qualification as per rule 24(A) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.	
2.	Form-8 In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.	
3.	Form-9 In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.	
4.	Copy of Caste certificate issued by competent officer of Government of Madhya Pradesh in case of a member of reserved category.	
5.	Receipt of Security Deposit.	
6.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 No Dues Certificate from Electricity Company regarding no outstanding due.	
7.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 No Dues Certificate from Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council regarding no outstanding due.	
8.	An extra Stamp size colour photograph of the candidate for printing on Ballot Paper.	
9.	Other -	
10.	Other -	

*Strike out the word not applicable.

** If not being set up by any political party, write "Independent" in the adjacent column.

Date

Signature/Thumb impression of Candidate

Name

(To be filled by the Returning Officer)

1.	Serial Number of Nomination Paper		
2.	Date of presentation of Nomination Paper before Returning Officer		
3.	Time of presentation of Nomination Paper before Returning Officer		
4.	*Person, who has presented the Nomination Paper before Returning Officer	Candidate	Proposer

Details of documents enclosed with the Nomination Paper, for which receipt is provided to the candidate

(In column number 3 & 4, fill in same details as it is written in the receipt, handed over to the candidate)

S. No.	Details of document	Enclosed (Yes/No)	If not enclosed, then time limit for submission of the particular document to the Returning Officer	
			Date & Time	Occasion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Affidavit with two extra signed copies regarding declaration of information relating to Criminal antecedent, assets, liabilities and educational qualification as per rule 24(A) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.		Affidavit is mandatory to be submitted only at the time of presenting Nomination Paper to the Returning Officer.	
2.	Form-8 In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
3.	Form-9 In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
4.	Copy of Caste certificate issued by competent officer of Government of Madhya Pradesh in case of a member of reserved category.			Before scheduled date and time of scrutiny.
5.	Receipt of Security Deposit.		Receipt of Security Deposit is mandatory to be submitted only at the time of presentation of Nomination Paper to the Returning Officer.	
6.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 No Dues Certificate from Electricity Company regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.

7.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 No Dues Certificate from Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.
8.	An extra Stamp size colour photograph of the candidate for printing on Ballot Paper.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
9.	Other -			
10.	Other -			

*Strike out the word not applicable.

Date

Signature of Returning Officer (Municipality)

Name

Decision of Returning Officer Accepting or Rejecting the Nomination paper

I have examined this Nomination Paper in accordance with Rule-28 of the Madhya Pradesh Municipalities Election Rules, 1994 and decide as follows :- (**)

Signature of Returning Officer (Municipality)

Name

Seal

** In case nomination Paper is rejected, state the reasons therefor.

Receipt of Nomination Paper and Notice of scrutiny to be handed over to the Candidate

1.	Serial Number of Nomination Paper		
2.	Date of Presentation of Nomination before Returning Officer		
3.	Time of Presentation of Nomination before Returning Officer		
4.	*Person, who has presented the Nomination before Returning Officer	Candidate	Proposer
5.	Name of Candidate		
6.	*Name of Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council		
7.	Name of post for which the Nomination paper is presented for election (write ward number in case of the Councillor)		
8.	Date of scrutiny of Nomination Paper		
9.	Time of scrutiny of Nomination Paper		
10.	Place of scrutiny of Nomination Paper		

Details of documents enclosed with the Nomination paper

S. No.	Details of document	Enclosed (Yes/No)	If not enclosed, then time limit to present the above document to the Returning Officer	
			Date & Time	Occasion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Affidavit with two extra signed copies regarding declaration of information relating to Criminal antecedent assets, liabilities and educational qualification as per rule 24(A) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.		Affidavit is mandatory to be submitted only at the time of presenting Nomination paper to the Returning Officer.	
2.	Form-8 In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
3.	Form-9 In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
4.	Copy of Caste certificate issued by competent officer of Government of Madhya Pradesh in case of a member of reserved category.			Before scheduled date and time of scrutiny.
5.	Receipt of Security Deposit.		Receipt of Security Deposit is mandatory to be submitted only at the time of presenting the Nomination paper to the Returning Officer.	

6.	*Under sect.on-17 of MP Municipal Corporation Act, 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 No Dues Certificate from Electricity Company regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.
7.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act, 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 No Dues Certificate from Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.
8.	An extra Stamp size colour photograph of the candidate for printing on Ballot Paper.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
9.	Other -			
10.	Other -			

*Strike out the word not applicable.

Date

Signature of Returning Officer (Municipality)

Name...

Seal

FORM - 4

(See rule 27)

NOTICE OF NOMINATION

Election of Councillor form ward no.....of *Municipal Corporation/
Municipal Council/ Nagar Council.....

Notice is hereby given that the following nominations in respect of the above election have been received up to 03:00 p.m. today.

No. of the Nomination paper	Name of the candidate	Name of Father/*husband	Age of the candidate	address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Party affiliation	Particulars of castes tribes or other classes for candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes or other Backward Classes	No. of the Candidate in the voters' List (Part No..... S.No.....)	Name of Proposer	S. No. of the proposer in Voters list (Part No..... S.No.....)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Place.....

Date.....

.....
Returning Officer (Municipality)

Name.....

Seal.....

*Strike off the inappropriate alternative.

FORM - 6

[See rule 29(1)]

APPLICATION FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

Election of Councillor from ward no.....of *Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

To,

The Returning Officer (Municipality)

.....

I, a candidate validly nominated at the above election do hereby give notice that I withdraw my Candidature.

02. The *receipt/receipts given in acknowledgement of the nomination *Paper/papers submitted to you on.....(date) on my behalf *is/are enclosed herewith in original.

.....

Place.....

Signature of validly nominated candidate

Date.....

This notice was delivered to me at my office at(hour) on.....(dated) by.....(name).....

Dated.....

.....

Returning Officer (Municipality)

Name.....

Seal.....

Receipt for notice of withdrawal

(To be handed over to the person delivering the notice)

The notice of withdrawal of candidate by..... a
 validly nominated candidate at the Election of Councillor from ward
 No..... of *Municipal Corporation/Municipal Council/ Nagar Council
was delivered to me by (**)
at my office at(hour)
 on(date).

Dated.....

.....
 Returning Officer (Municipality)

Name.....

*Strike off the inappropriate alternative.

**Here insert one of the following alternatives as may be appropriate: - (1) Candidate (2)
 Candidate's Proposer (3) Candidate's Election agent.

FORM - 7

[See rule 29(4)]

NOTICE OF WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

Election of Councillor from ward no.....of *Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

Notice is hereby given that following validly nominated *Candidate/Candidates at the above election*has/have withdrawn *his/their candidature today.

Name of validly nominated candidate	Address of validly nominated candidate	Remark
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

Dated.....

.....
Returning Officer (Municipality)

Name.....

Seal.....

*Strike off the inappropriate alternative.

FORM - 8
[See rule 31(2) (ii)]

NOTICE AS TO NAMES OF CANDIDATES SET UP BY THE POLITICAL PARTY

To,

The Returning Officer (Municipality)

Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Council.....

District.....

Subject:- Election of Councillor to Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar

Council.....District.....Name of Party Candidates.

Sir,

In pursuance of Rule 31 of the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994 I hereby, give notice that the following persons have been set up by(party) as its candidates at the ensuing Municipal Election cited above.

Particulars of the seat Councillor	The no. of Ward (in the case of election for councillor only)		Name of the approved candidate	Father's/ Husband's name of the approved candidate	Postal address of the approved candidate
	In figures	In words			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Name of the substitute candidate (who will step in, in the event of the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or his withdrawing from the contest)	Father's / Husband's Name of the substitute candidate	Postal address of the Substitute candidate
(7)	(8)	(9)

Yours faithfully,

Place.....

(Seal of the Party)

Name and signature of the authorized officer
bearer of the District unit of the Party.

Copy to: -

The Collector and District Election Officer (Municipality)
District.....for information

Place.....

Date.....

(Seal of the Party)

Name and signature of the authorized
person of the party

*Strike out the inappropriate alternative.

FORM - 9
[See rule 31(2) (iv)]

NOTICE OF AUTHORIZED OFFICE BEARER UP BY THE POLITICAL PARTY
.....PARTY, MADHYA PRADESH

To,

The Returning Officer (Municipality)
Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Council.....
District.....

Subject:- Election of Councillor to Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar
Council.....District.....Authorization of office
bearer for intimating the names of Party Candidates. .

Sir,

In pursuance of Rule 31 of the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994 I hereby, communicate for the following person (s) has/have been authorized by the party, which is a National party/State party in the State of Madhya Pradesh, to intimate the names of the candidates proposer to be set up by the Party at the election cited above:-

Name of office bearer authorized	Name of office held in the District unit of the party	District(s) in respect of which he has been authorized
(1)	(2)	(3)

2. The specimen signature of the above mentioned office bearer of the District Unit of the Party so authorized are given below: -

Name	Specimen Signature
i. Shri.....	(i)
ii. Shri.....	(ii).....
iii. Shri.....	(iii).....

Yours faithfully,

Place.....
Date.....

(Seal of the Party)

President/Secretary Name of the Party

*Strike out the inappropriate alternative.

FORM - 10

[See rule 32]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election of Councillor from ward no.....of *Municipal
Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

S. No	Name of Candidate	Address of Candidates	Party Affiliation	Symbol Allotted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				

Place.....

Date.....

Time.....

.....
Returning Officer (Municipality)

Name.....

Seal.....

*Strike off the inappropriate alternative.

FORM - 11

[See rule 33(1)]

APPOINTMENT OF ELECTION AGENT

Election of Councillor from ward no.....of *Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

To,

The Returning Officer (Municipality)

.....

I,.....resident of
a candidate at the above election do hereby appoint.....
resident of as my election agent from this day at
the above election.

Place

Date.....

.....
signature of candidate

(Name.....)

I accept the above appointment

Place.....

Date.....

.....
signature of Election agent

(Name.....)

Approved

.....

Place.....

Signature of the Returning

Officer (Municipality)

Date.....

Name.....

Time.....

Seal.....

*Strike off the inappropriate alternative.

FORM - 12

[See rule 34(1)]

APPOINTMENT OF POLLING AGENT

Election of Councillor from ward no.....of *Municipal Corporation/
Municipal Council/ Nagar Council.....

I,*a candidate/the election agent
of..... Who is a candidate at the above election, do hereby
appoint (Name).....
address..... as polling agent
to attend polling station no..... at (place fixed for the poll).

Place.....

Date.....

.....
Signature of *candidate/election agent
(Name.....)

I agree to act as such polling agent

Place.....

Date.....

.....
Signature of polling agent
(Name.....)

DECLARATION OF POLLING AGENT TO BE SIGNED BEFORE PRESIDING OFFICER

I, hereby, declare that at the above election I will not do anything forbidden by law
and rules pertaining to elections in general and secrecy of voting in particular.

.....
Signature of polling agent
(Name.....)

Signed before me

Date.....

.....
Presiding Officer
(Name.....)

*Strike off the inappropriate alternative.

FORM – 13

[See rule 34(1)]

APPOINTMENT OF COUNTING AGENT

Election of Councillor from ward no.....of *Municipal Corporation/
Municipal Council/ Nagar Council.....

To,

The returning officer (municipality)

.....

I,*a candidate/the election agent
of..... Who is a candidate at the above election, do hereby

appoint (Name).....address.....

..... as my counting agent to attend the counting of votes at.....

..... (place fixed for the counting).

Place.....

Date.....

Signature of*candidate/election agent

(Name.....)

I agree to act as such counting agent

Place.....

Date.....

Signature of counting agent

(Name.....)

DECLARATION OF COUNTING AGENT TO BE SIGNED BEFORE RETURNING OFFICER

I, hereby, declare that at the counting of votes of the above election, I will not do
anything forbidden by law or rules pertaining to elections is general and secrecy of voting
in particular.

Signature of counting agent

(Name.....)

Signed before me

Date.....

Signature of Returning Officer (Municipality)

(Name.....)

Seal

*Strike off the inappropriate alternative.

FORM-14

[See rule 39]

DECLARATION OF RESULT OF UNCONTESTED ELECTION

Election of Councillor from ward no.....of *Municipal Corporation/
Municipal Council/ Nagar Council.....

In pursuance of sub-rule(1) of rule 39 of the Madhya Pradesh Nagarpalika
Nirvachan Niyam, 1994, I declare that.....(Name)

.....(Address)

**Sponsored by.....

(Name of the recognized Political Party)

Has been duly elected as Councillor in the above mentioned election.

Place.....

Signature.....

Date.....

Returning officer (municipality)

(Seal.....)

*Strike off the inappropriate alternative.

**Strike off if not required.

FORM - 15

[See rule 49(2) (c)]

LIST OF CHALLENGED VOTES

Election of Councillor from ward no.....of *Municipal Corporation/
Municipal Council/ Nagar Council.....

S. No. of entry	Name of the voter	Particular of entry in Voter's list		Signature or thumb impression of the person challenged	Address of the person challenged
		Part number of Voter's list	Voter's serial number		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Name of identifier if any	Name of Challenger	Order of Presiding Officer	Signature of challenger on receiving refund of deposit
(7)	(8)	(9)	(10)

Date.....

.....

Signature of Presiding Officer

(Name.....)

*Strike off the inappropriate alternative.

FORM - 16

[See rule 52(1)]

DECLARATION BY THE COMPANION OF BLIND OR INFIRM VOTER

Election of Councillor from ward no.....of *Municipal Corporation/
Municipal Council/ Nagar Council.....

I,.....son of.....
aged.....resident of.....
address.....
hereby declare that -

(a) I have not acted as Companion of any other voter at any Polling Station
today;

(b) I will keep Secret the Vote recorded by me on behalf of

Name....., serial No. and Part
No. of Voters' List.....

Place.....

Date.....

Signature of Companion

(Name.....)

Countersigned

Presiding Officer

Polling Station No.....

*Strike off the inappropriate alternative.

FORM - 17

[See rule 54(2)]

LIST OF TENDERED VOTES**LIST OF TENDERED VOTES**

Election of Councillor from Ward No.....of
 *Municipal Corporation/Council/Nagar Council.....

Number of Polling Station.....

S. No.	Name of Voter	Particulars of entry in the voters' List		Address of voters
		Part No. of Voters' List	S. No. of Voter	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Serial number of tendered ballot paper	Serial number of ballot paper issued to the person who has already voted.	Signature or thumb impression of person tendering vote
(6)	(7)	(8)

Date.....

.....

Signature of Presiding Officer

(Name.....)

*Strike off the inappropriate alternative.

FORM – 17-A

[See sub rule (1)(a) of rule 63K]

VOTER REGISTER**(where the polling shall be done by Electronic Voting Machine)**

Election of Councillor from ward no.....of *Municipal Corporation/
Municipal Council/ Nagar Council.....

S. No.	Number of voter in the voters' list	The details of documents produced by the voter as a proof of his identity	Signature/ thumb impression of a voter	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Date.....

.....
Signature of Presiding Officer

*Strike off the inappropriate alternative.

FORM - 18

[See rule 57]

BALLOT PAPER ACCOUNT

Election of Councillor from ward no.....of *Municipal Corporation/
Municipal Council/ Nagar Council.....

*Election of Councillor Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar
Council.....(No. and Name of Polling Station.....)

	Serial No.		Total No.
	From	To	
1. Ballot papers received by the presiding officer			
2. Ballot papers unused			
3. Ballot Paper used at the polling Station (1-2=3)			
4. Ballot papers used at the polling station but no INSERTED IN TO THE BALLOT BOX			
a. Ballot paper cancelled due to printing mistake			
b. Ballot papers used as tendered ballot papers.			
c. Ballot papers cancelled (a+b+c)			
Total			
5. Ballot papers to be found in the ballot box (3-4=5) (*Serial numbers need not be given)			

Place.....

Date.....

Signature of Presiding Officer

*Strike off the inappropriate alternative.

Part-II RESULT OF INITIAL COUNTING

1. Total number of ballot papers found in the ballot box(es) used at the polling station.....
2. Discrepancy, if any, between the total number as shown against item 1 in this part and the total number of ballot papers to be found in the ballot box(es) as shown in item 5 to Part I.

Date.....

.....

Signature of counting Supervisor

(Name.....)

.....

Signature of Returning Officer (Municipality)

(Name.....)

FORM – 18-A

[See rule 63Q]

Part-1 Account of recorded votes

The Election of Councillor from ward no.....of *Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council.....

The number and name of Polling Centre.....Control Unit No.....
the Identity No.....of polling machine used, Polling Unit No.1.....
2..... Printer No. (if used)..... No of Detachable Memory
Module.....

1. Total Number of Electoral fixed in the polling Centre
2. Total Number of Voters recorded in the voters' Register
3. The Number of voters recorded in voting Machine
4. The Number of voters who are not permitted to vote under
the provision of rule 63L
5. The number of voters who have decided not to poll (2-3-4=5)
6. The number of tendered ballots

Serial Number

From.....To.....

- (a) Received for use
- (b) Issued to the Electoral
- (c) Not used and taken back

7. Account of seals of paper

Signature of Election Agent

1. The seals of paper Total Number 1.....
Granted for use

S. No. From.....To.....

2. Used seals of paper Total Number..... 2.....

S. No. From.....To.....

3. The unused seals of paper returned to the 3.....

Returning Officer total Number..... 4.....

S. No. From..... to.....

4. The Seals of Paper total Number 5.....

Destroyed if any S. No. from,..... to.....

6.....

Place.....

Date.....

Signature of Presiding Officer

Polling Centre No.....

Part-2

RESULT OF PRELIMINARY CALCULATION

1. Total Number of votes found in Electronic Voting

Machine used at the Polling Centre.

2. Any difference found in total number of votes shown.....

In Head-1 of this part with Head-3 of part-1

If any

Date.....

Signature of the Calculating Supervisor

Place.....

Name.....

Signature of the Returning Officer

(municipality)

Name.....

FORM—19
[See rule 63(2)]

APPLICATION FOR ELECTION DUTY BALLOT PAPER

Election of Councillor from Ward No.....of
*Municipal Corporation/Council/Nagar Council.....

To,

The Returning Officer (Municipality)

.....
District.....

Sir,

I intend to cast my vote at the above mentioned Election.

I have been posted on Election duty at Polling Station No.....of ward
no.....of *Municipal Corporation/Council/Nagar Council.....

2. My name is entered at Serial No.....of Part No.....of
voter's list of ward No.....of the above mentioned *Municipal
Corporation/Council/Nagar Council.

3. I request that an Election duty Ballot paper may be sent to me to enable me
to vote at the following address:-

Address:

.....
.....
place
Date

Yours faithfully,

.....
(Name))

*Strike off the inappropriate alternative.

FORM—19-A
[See rule 63(4)(a)]

ENVELOPE-A

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING</div> <p>*Election of councillor for ward No.</p> <p>of Municipal Corporation/council/Nagar Council.....</p> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 60%;">Election Duty Ballot Paper</div> <p>Serial number of Ballot Paper.....</p>

FORM—19-B
[See rule 63(4)(a)]

ENVELOPE-B

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING</div> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">ELECTION-IMMEDIATE</p> <p>*Election of councillor for ward No.</p> <p>of Municipal Corporation/council/Nagar Council.....</p> <p style="text-align: center; margin: 10px auto;">To, <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px; margin: 0 10px;">Election Duty Ballot Paper</div></p> <p style="text-align: center;">The Returning Officer (Municipality)</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">Distt.....</p> <p>Signature of Sender</p> <p>.....</p>
--

FORM—19-C
[See rule 63(4)(C)]

DECLARATION BY VOTER ON ELECTION DUTY

Election of Councillor from Ward No.....of *Municipal Corporation/Council/Nagar Council.....District.....

I, hereby, declare that I am the voter to whom the Election Duty Ballot Paper bearing serial No.....has been issued at the above election.

Date.....

.....

SIGNATURE OF THE VOTER

(Name.....)

Address.....

.....

ATTESTATION OF SIGNATURE

The above has been signed in my presence by(voter) who is personally known to me/has been identified to my satisfaction by.....(Identifier) who is personally known to me.

Signature of Identifier, if any

(Name

Address

.....
Signature of Attesting Officer

(Name

Designation.....

Address

Date

*Strike off the inappropriate alternative.

FORM—19-D
[See rule 63(4)(d)]

INSTRUCTIONS FOR GUIDANCE OF VOTERS ON ELECTION DUTY

Election of Councillor from Ward No.....of *Municipal Corporation/Council/Nagar Council.....

The persons whose names are printed on the ballot paper sent here-with are candidates at the above election. Record your vote by placing clearly a mark opposite the name of the candidate to whom you wish to give your vote in the space provided for the purpose. The mark may be made in the form ' ✓ ' or ' X ' or in any other manner at such a place so as to indicate clearly and beyond doubt to which candidate you are giving your vote. If the mark is so placed as to make it doubtful to which candidate you have given your vote, your will be invalid.

2. Do not put your signature or write any word or make any sign of writing what so over on the ballot paper other than the mark required to record your vote.

3. After you have recorded your vote on the ballot paper the ballot paper in the smaller envelope marked 'A' sent herewith. Close the envelope and secure it by seal or otherwise.

4. You may then sign the declaration in Form 19C also sent herewith in the presence of and have signature attested by any one of the officers specified below:-

(a)head of office where you are working, if you are a government servant of an employee of a Municipality or a government undertaking;

(b)any gazette officer known to you or the Presiding Officer of the polling station at which you are on election duty.

(c)any Revenue Officer not below the rank of a Naib Tahsildar.

you may take the declaration to any of the above mentioned specified officers and sign it in his presence after he has satisfied himself about your identity. the Officer will attest your signature and return the declaration to you. You must not show your ballot paper to the attesting officer nor tell him how have voted.

5. After your declaration has been signed and your signature has been attested, place the declaration in Form 19 C, as also the smaller cover marked 'A' (containing the ballot paper) in the larger envelope marked 'B' After closing the larger envelope. send it to the Returning Office (Municipality) by post or by messenger or deliver it to him personally. Please fill in all the entries on the larger envelope 'B' before sending it or handing it over to the Returning Officer (Municipality),

6. You must ensure that the envelope reaches the Returning Officer before (*) the hour and date fixed for the commencement of counting of votes that is beforeAM/PM on.....(Date)

7. Please note that-

(i)If you fail to get your Declaration attested or certified in the manner indicated above, your Ballot-Paper will be rejected;

(ii)If the cover reaches the Returning Officer (Municipality) after the hour and date specified before, your vote will not be counted.

FORM-20

[See rule 66 (10)]

RESULT OF COUNTING OF E.D. BALLOT PAPERS

Election of Conucillor from Ward No.....of *Municipal Corporation/Council/Nagar Council

S.No.	Name of candidate	Valid votes cast in favour of the candidate
(1)	(2)	(3)

- 2- (a) Total No. of E.D. votes.....
 (b) Total No. of invalid E.D. votes.....
 (c) Total No. of valid E.D. votes received.....

Signature of Returning Officer (Municipality)

Place

(Name.....)

Date.....

* Strike off the in appropriate alternative.

FORM-21

[See rule 69 (2)]

RESULT OF COUNTING

Election of Conucillor from Ward No.....of *Municipal Corporation/Council/Nagar Council

Polling Station No.....

S.No.	Name of candidate	No. of Valid votes cast in favour of the candidate
(1)	(2)	(3)

- 2- (a) Total No. of valid votes.....
- (b) Tctal No. of invalid votes.....
- (c) Total No. of votes cast

.....

Signature of counting Supervisor

(Name.....)

.....

Signature of Returning Officer (Municipality)

Place

(Name.....)

Date.....

* Strike off the in appropriate alternative.

FORM-21-A

[See rule 69B]

RESULT OF CALCULATION

(Where the polling shall be done by Electronic Voting Machine)

The election of Councillor from Ward No.....of Municipal Council/Municipality/Municipal Corporation.....(To be filled in separately for Councillor.)

Polling Centre No.....

S.No.	Name of candidate	The number of votes received as per The Election Control Unit
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

(a) Uncer/Number of no voting.....

(b) The number of unfinished votes.....

(c) None of the above (NOTA).....

Signature of Calculating Supervisor

The name and full signature of Candidate/

Election Agent/Calculating Agent

Date

(Name.....)

Place.....

FORM-23

[See rule 74]

DECLARATION-CUM-RETURN OF ELECTION

Election of Conucillor from Ward No.....of *Municipal Corporation/Council/Nagar Council*

(1) RETURN OF ELECTION

S.NO.	NAME OF CANDIDATE	PARTY AFFILIATION	NO. OF VOTES POLLED
(1)	(2)	(3)	(4)

Total No. of voters.....

Total number of valid votes Polled.....

None of the above(NOTA) Total number of votes.....

Total number rejected votes.....

Total number of tendered votes.....

(2) DECLARATION OF ELECTION ON THE BASIS OF RETURN

I declare that:-

.....(Name)

Of.....(Address)

Has been duly elected.

.....
Returning Officer (Municipality)

(Name.....)

Seal.....

Place

Date.....

* Strike off the in appropriate alternative.

FORM-24

[See rule 75]

CERTIFICATE OF ELECTION

I. Returning Officer (Municipality) for the

Municipal Corporation/Council/Nagar CouncilDistrict

.....hereby, certify

that I have on.....day of

..... declared.

Shri./Smt./Ku.....

Resident of

*Sponsored by.....

(Name of recognized political party)

to have been duly elected as Councillor from Ward No.....of the (*) Municipal

Corporation/Council/Council

and
In token there of. I have granted to him/her this certificate of election......
Returning Officer (Municipality).....
(Name.....)

Place

Seal.....

Date.....

* Strike off the in appropriate alternative.

By Order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

(Umesh Kumar Singh)

Deputy Secretary

Government Of Madhya Pradesh

Urban Development and Housing Department